न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 47 / 2016

(आर सी एम एस नम्बर:— 2016 / 00096)

उनवान प्रकरण

1—रामअवतार । पुत्रगण स्व.बाबूलाल जाति राजपूत निवासीगण करीलकी वार्ड न01
2—प्रमोद । राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
3—इन्दा पुत्री स्व.बाबूलाल पत्नी रूप सिंह जाति राजपूत निवासी देवखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
4—सुनीता पुत्री स्व.बाबूलाल पत्नी मुन्नालाल जाति राजपूत निंवासी जौनावत की गढी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
5—ज्ञानदेवी पुत्री स्व.बाबूलाल पत्नी पोखीराम जाति राजपूत निवासी धर्मजीत की गढी तहसील फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0
6—जलदेवी पत्नी स्व. बाबूलाल जाति राजपूत निवासी करीलकी वार्ड न01 राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर .....अपीलान्टस

बनाम

1—राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर
2—कपूरी पुत्री झम्मन पत्नी फतेह सिंह जाति राजपूत नि0करीलपुर तह0राजाखेडा
3—कालीचरण । पुत्रगण माताप्रसाद जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जटपुरा तहसील
4—नाहरसिंह । फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0
5—नल्लादेवी पुत्री माताप्रसाद पत्नी चन्द्रभान जाति राजपूत निवासी रहपुरा तहसील फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0
6—रामवीर । पुत्रगण स्व. रोशन जाति राजपूत निवासीगण करीलकी वार्ड न01
7—राजकुमार । राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
8—निधलेश पुत्री स्व. रोशन पत्नी मेवाराम जाति राजपूत निवासी बाजना तहसील राजाखेडा
9—ममता पुत्री स्व.रोशन पत्नी रविन्द्र जाति राजपूत नि0 धर्मजीतकीगढी तह0फतेहाबाद,आगरा
10—रामादेवी बेवा स्व.रोशन जाति राजपूत नि0 करीलकी बार्ड न01 राजाखेडा तह0राजाखेडा
.....असल रेस्पोडेण्टस
11—महावीर । पुत्रगण स्व.बैकुण्ठी पत्नी मटरेलाल जाति राजपूत निवासीगण
12—भगवानसिंह । रूंध का पुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
13—रामवती पुत्री स्व. बैकुण्ठी पत्नी कालीचरण जाति राजपूत नि0देवखेडा तह0राजाखेडा
.....तरतीवी रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण आदेश दिनांक 14.08.2016 व नामान्तकरण संख्या 3122 बांके गाम महदवार न01 राजाखेडा व नामान्तरण संख्या 3078 बांके ग्राम जरिहा न01 तहसील राजाखेडा

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्टस की ओर से :– श्री भगवती प्रसाद झां एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2 लगा0 12 की ओर से :– श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट

निर्णय **दिनांक : 17.01.2023**

अपीलान्ट की ओर से अपील इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजीयात खाता संख्या 205 के आराजी खसरा नम्बर 779, 780, 789, 794, 805, 807, 809, 2680/788, 2681/788, खाता संख्या 210 के आराजी खसरा नम्बर 796 व खाता संख्या 372 के आराजी खसरा नम्बर 787 व खाता संख्या 417 के आराजी खसरा नम्बर 769, 771, 772, 773 बांके ग्राम महदवार नम्बर–1 राजाखेडा व खाता संख्या 225 के आराजी खसरा नम्बर 710, 712, 718 बॉके ग्राम जरिहा नम्बर–1 तहसील राजाखेडा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अपीलांटस के चाचा मृतक जनकसिंह पुत्र स्व. झम्मनसिंह 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार थे। जनकसिंह की शादी नहीं हुई थी, मृतक जनकसिंह अपने बडे भाई यानि अपीलांटस के पिता स्व0 बाबूलाल के साथ शामिल शरीक होकर निवास करते थे। मृतक जनकसिंह के हिस्से की आराजीयात पर अपीलांटस बहैसियत मृतक जनकसिंह के उत्तराधिकारी के रूप में काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त कर रहे है। मृतक जनकसिंह अपीलांटस के साथ रहने तथा अपीलांटस को ही अपना उत्तराधिकारी मानने के कारण अपनी जमाशुदा राशि के खाता बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजाखेडा में अपीलांटस को खाते में जमाशुदा राशि को प्राप्त करने के लिये नॉमिनी नियुक्त किया गया । रैस्पोडेन्ट संख्या–2 कपूरी तथा 3लगा05 की मॉ मृतक रामदेवी की शादी आज से अर्सा करीब 50 व 60 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा शादी के समय से ही दोनो अपनी अपनी ससुरालों में निवास कर रही है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से मृतक जनकसिंह के हिस्से की आराजीयात से रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 5 का कोई सबंध व सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है। मृतक जनकसिंह के भाई रैस्पोडेंट संख्या 6 लगा0 9 के पिता स्व0 रोशनसिंह अर्सा करीब 30 साल पूर्व से पृथक निवास कर रहे थे, मृतक जनकसिंह की आराजीयात में स्व0 रोशन व रोशन के वारिसान रैस्पोडेन्ट संख्या 6 लगा0 10 का कोई सबंध व सरोकार नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश के तहत दिनांक 4.4.2016 को अपीलांट के चाचा जनकसिंह का कत्ल रैस्पोडेन्ट संख्या–6 रामवीर ने कर दिया जिसकी एफआईआर संख्या 58/2016 अन्तर्गत धारा 302 भा.द.स. अपीलांटस द्वारा थाना राजाखेडा दर्ज कराई गई उक्त एफआईआर में रैस्पोडेन्ट संख्या–6 रामवीर द्वारा अपना जुर्म कुबूल किया गया कि उसने जनकसिंह को इसलिये मारा है कि जनकसिंह अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांटस को दे रहा था। जनकसिंह की मृत्यु उपरांत पूर्व नियोजित साजिश के तहत उपरोक्त आराजीयात पर रैस्पोडेंट

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–2 लगा010 द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के साथ साज कर दिनांक 14.8.2016 राजकीय अवकाश दिन रविवार को नामान्तकरण संख्या 3122 वांके ग्राम महदवार नम्बर–1 राजाखेडा व नामान्तकरण संख्या 3078 वांके ग्राम जरिहा नम्बर–1 तहसील राजाखेडा दर्ज राजस्व रिकार्ड किया गया। उक्त नामांतकरणों की जानकारी अपीलांटस को तब हुई जब रैस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा0 10 द्वारा अपीलांटस पर एफआईआर संख्या 58/2016 में राजीनामा करने हेतु दवाब बनाया क्योंकि मृतक जनकसिंह के कत्ल की एफआईआर अपीलांटस द्वारा की गई थी। इस प्रकार के अवैध रूप से बिना जानकारी किये व अपीलांटस को बिना सूचित किये मृतक जनकसिंह कत्ल को स्वभाविक मृत्यु मानते हुये रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 10 के साथ मिलकर नामांतकरण संख्या 3122 व 3078 दर्ज रिकार्ड किये गये । उक्त नामान्तकरणों को दर्ज करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को नोटिस नहीं दिये गये , एंव सुनवाई का मौका नहीं दिया गया ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण void ab abinition है। रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 10 द्वारा जनकसिंह की आराजीयात को हडपने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र रचकर जनकसिंह का कत्ल कर दिया गया है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत हत्या करने वाला व हत्या का दुष्प्रेरण करने वाला या साजिश रचने वाला या हत्या में सहयोग करने वाला जिसकी हत्या की गई है, उसकी सम्पत्ति से निरहित होगा। इस प्रकार रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 10 का मृतक जनकसिंह की आराजीयात में कोई हित, स्वत्व अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण शून्य व निष्प्रभावी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रैस्पोडेन्ट संख्या 11 लगा0 13 स्व0 बैकुण्ठी के जायज वारिस व कायम मुकाम होने के कारण उक्त उनवानी अपील में तरतीबी पक्षकार बनाये गये है इनके विरूद्व कोई दादरशी नही चाही गई है। अपील अपीलांटस अन्दर अवधि प्रस्तुत है। उन्होंने अपील आपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.8.2016 नामान्तकरण संख्या 3122 व 3078 निरस्त किया जाकर अपीलांटस के पक्ष में मृतक जनकसिंह की सम्पूर्ण आराजीयात पर नामान्तकरण तस्दीक किये जाने आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल नामान्तकरण संख्या 3078 जरिहा नम्बर–1, नकल नामान्तकरण संख्या 3122 ग्राम महदवार नम्बर–1 राजाखेडा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 205, 210, 372, 417 सम्वत 2070 से 2073 ग्राम महदवार नम्बर–1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 225 सम्वत 2070 से 2073 ग्राम जरिहा नम्बर–1, फोटोप्रति बैंक पासबुक बैंक ऑफ इण्डिया, नकल फोटोप्रति चार्जशीट एफआईआर न0 58/2016 थाना राजाखेडा, फोटोप्रति रसीद सुपुदर्गी लास जनकसिंह दिनांक 4.4.2016, फोटोप्रति बयान हस्व दफा 161 सीआरपीसी रामअवतार वगैरा, फोटो प्रति फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0, नकल प्रमाणित प्रति प्रा0पत्र मार्गदर्शन दि0 11.8.16, नकल प्रार्थना पत्र दाखिला दि0 11.8.16 पेश किये है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत कर कहा कि न्यायिक दृष्टांत काबिले गौर है इसलिये अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण जनकसिंसह की विरासत के खोले गये है जो लाबन्द फौत हुआ था हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सम्पत्ति उसके नजदीकी वारिसों को जावेगी जनकसिंह की मृत्यु के समय उसकी केवल दो बहिने ही जीवित थी नामान्तरकरण पर दर्ज सिजरा में कम्पूरी व रामदेई के वारिसो को दर्शाते हुए उनके नाम नामान्तकरण खुला है रस्पोडेन्ट संख्या 6 के नाम कोई नामान्तरकरण नहीं हुआ है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के अनुससार नामजद आरोपी को दोषसिद्ध को ही निरहित किया गया है । अपीलान्ट संख्या 1,2,6 ने एक दावा उनवानी प्रमोद कुमार बनाम राजकुमार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा में मु0न0 86/2016 प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि विवादित आराजी मे जनका उर्फ जनकसिंह सहखातेदार था जिसका निधन दिनांक 4.4.2016 को हो गया है। जनका की मृत्यु के समय जनकसिंह की बहन जीवित थी जिसने जनकसिंह का तर्का प्राप्त किया है लेकिन अपीलार्थीगण/वादी ने अपने नाम की स्वत्व घोषणा एवं नामान्तकरण कराने का अनुतोष चाहा था। उक्त दावा उनवानी प्रमोद कुमार बनाम राजकुमार को अपीलांटस ने दिनांक 6.4.2017 को विड्रो कर लिया है। विवादित आराजी पर आक्षेपित नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 5 के नाम तस्दीक किया गया था जिसके आधार पर दर्ज इन्द्रांज को सही मानकर अपीलार्थी संख्या–1 रामअवतार ने दिनांक 18.04.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 5 से विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीयन करा लिया है। इसी प्रकार विवादित आराजी में से रेस्पोडेन्ट संख्या–2 को हिस्सा अपीलार्थी संख्या–2 प्रमोद ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.4.2017 को क्रय कर लिया है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य है । उन्होंने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा दो पृथक–पृथक नामान्तरकरण जो पृथक–पृथक राजस्व ग्रामों के है की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जबकि उन्हें दोनों नामान्तरकरणों की पृथक–पृथक अपीलें पेश करनी चाहिए थी इस इस सम्बन्ध में हम अभिभाषक के रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2013 आरआरटी पेज 659 से सहमत है और दो नामान्तकरणों की एक ही अपील पोषणीय नहीं है । अपीलान्ट द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के प्रावधानों का हवाला देते हुए जनकसिंह जिसकी आराजी की विरासत के नामान्तकरण खोले है को साजिस वार तथा जनकसिंह की की पूर्ण नियोजित षणयन्त्र के तहत हत्या करना कथन किया है तथा जनकसिंह की हत्या रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 रामवीर द्वारा करना बताया है । जबकि अपीलाधीन दोनों नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1656 की धारा 8 के अनुसार मृतक के जीवित वारिसानो पर सम्पत्ति प्रकान्त होगी के अनुसार मृतक की बहिनों के वारिसान के नाम नामान्तरकरण निर्णित किये है इन दोनों नामान्तरकरणों में रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 रामवीर के नाम कोई भी इन्द्राज नहीं हुआ है । साथ ही प्रकरण में

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत नकल वाद–पत्र व आदेशिका न्यायालय उपखण्डाधिकारी के अनुसार नामान्तरकरणों में वर्णित आराजीयात पर स्वत्व घोषणा का वाद अपीलार्थी द्वारा प्रमोद कुमार बनाम राजकुमार पेश किया जिसे उनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया तथा अपीलार्थी संख्या1 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 से विवादित आराजीयात का विक्रय–पत्र दिनांक 18.04.2017 को निष्पादित करा लिया गया । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं रहता है और अपील पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य है ।

अत: आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्ब जाप्ता दाख्लि दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner